



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 254 राँची, गुरुवार,

4 मई, 2023 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2023

संख्या-01/स्था./आपूर्ति सेवा संवर्ग/पुनरीक्षण/07/2022/खा.आ.-1146--भारत का संविधान के

अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद्

द्वारा झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 का गठन

निम्नवत् करते हैं -

झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023**अध्याय-1****प्रारंभिक****1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**

- (i) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023" कहलाएगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ : इस नियमावली में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

- (i) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।
- (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।
- (iii) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल।
- (iv) "विभाग" से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राँची।
- (v) "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
- (vi) "निदेशालय" से अभिप्रेत है खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची।
- (vii) "सेवा" से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राँची के नियंत्रणाधीन आपूर्ति सेवा संवर्ग।
- (viii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अराजपत्रित पदों के संदर्भ में निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची एवं राजपत्रित पदों के संदर्भ में राज्य सरकार।
- (ix) "परीक्ष्यमान" से अभिप्रेत है स्थायी पदों के विरुद्ध परीक्ष्यमान रूप से सीधी भर्ती से नियुक्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी।

3. झारखण्ड आपूर्ति सेवा का गठन

संवर्गीय पदों पर नियुक्त एवं प्रोन्नत कर्मियों को सम्मिलित कर झारखण्ड आपूर्ति सेवा संवर्ग का गठन होगा। इसका संवर्ग राज्यस्तरीय होगा।

4. सेवा संवर्ग की संरचना

(1) कैडर विभाजन के उपरान्त अंतिम रूप से बिहार राज्य से प्राप्त पदों तथा उसके बाद की तिथियों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार सेवा के स्वीकृत बल का पुनर्निर्धारण तथा स्थायी पदों का सृजन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति का पदसोपान निम्नवत् होगा

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	वर्गीकरण	नियुक्ति प्राधिकार
1	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	PB-II, 9300-34800 GP-4200 (L-6)	अराजपत्रित समूह-"ख"	निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची।
2	पणन पदाधिकारी	PB-II, 9300-34800 GP-4600 (L-7)	अराजपत्रित समूह-"ख"	
3	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	PB-II, 9300-34800 GP-4800 (L-8)	राजपत्रित समूह-"ख"	राज्य सरकार
4	जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं समकक्ष पद सहायक निदेशक	PB-II, 9300-34800 GP-5400 (L9)	राजपत्रित समूह-"ख"	राज्य सरकार
5	उप निदेशक	PB-III, 15600-39100 GP-6600 (L-11)	राजपत्रित समूह-"क"	राज्य सरकार

(3) स्वीकृत बल के आधार पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पणन पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी का शतप्रतिशत पद आपूर्ति सेवा संवर्ग के पदाधिकारी के लिए कर्णांकित एवं चिन्हित रहेंगे।

(4) जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा उप निदेशक एवं समकक्ष पदों के स्वीकृत बल के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए चिन्हित/कर्णांकित पदों को छोड़कर अवशेष पद आपूर्ति सेवा संवर्ग के लिए कर्णांकित एवं चिन्हित समझे जायेंगे। आवश्यकतानुसार समय-समय पर उपर्युक्त स्तर के सृजित होने वाले पद आपूर्ति सेवा संवर्ग के लिए चिन्हित समझे जायेंगे।

5. झारखण्ड आपूर्ति सेवा के मूल कोटि के पद का वर्गीकरण तथा नियुक्ति प्राधिकार-

क्र. सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति प्राधिकार
1	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	अराजपत्रित (राज्य स्तरीय)	PB-II, 9300-34800 GP-4200 (L-6)	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री	निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची।

अध्याय-2**भर्ती/नियुक्ति****6. सेवा में भर्ती का स्रोत**

सेवा में प्रवेश बिन्दु पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का पद मूल कोटि का होगा, जो शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त की गई अनुशंसा के आधार पर भरी जायेगी।

7. रिक्तियों का निर्धारण एवं संसूचन

प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना की जायेगी। उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयेरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से 28/29 फरवरी तक भेज दी जायेगी। अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी।

8. आरक्षण

झारखण्ड आपूर्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति तथा उच्चतर कोटियों में आरक्षण में झारखण्ड सरकार के आरक्षण अधिनियम/नियमावली तथा उसके तहत निर्गत संकल्पों/अनुदेशों एवं रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

अध्याय-3

सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती

9. सीधी भर्ती हेतु अर्हता

- (1) आयु सीमा- उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारण हो। उम्र निर्धारण हेतु कट-ऑफ डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी।
- (2) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी।

10. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की चयन की अनुशंसा

- (1) आयोग द्वारा उक्त पद के लिए अभ्यर्थियों की चयन की अनुशंसा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 10507, दिनांक 11.12.2015 के द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार की जायेगी।
- (2) आयोग की अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की जाएगी।
- (3) आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र देना होगा जो असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन गठित चिकित्सीय बोर्ड द्वारा निर्गत हो।
- (4) विभाग की अधियाचना के अनुरूप झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के बाद यदि कोई उम्मीदवार ससमय योगदान नहीं देता है तो उक्त रिक्ति अगली अधियाचना हेतु अग्रणित की जायेगी।

अध्याय-4

प्रोन्नति

11. परीक्ष्यमान अवधि/सम्पुष्टि/वार्षिक वेतनवृद्धि:

- (1) नियुक्ति की तिथि से दो (2) वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि होगी। परीक्ष्यमान अवधि में एक माह का प्रशिक्षण, सफलतापूर्वक पूरा करने और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही सेवा सम्पुष्टि की जायेगी।
- (2) विभागीय परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा जिसका पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 में है।
- (3) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा, जनजातीय भाषा परीक्षा, कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक) में उत्तीर्ण होने पर द्वितीय वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतनवृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

12. वरीयता का निर्धारण

वरीयता का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के क्रम के आलोक में होगी।

13. प्रोन्नति

- (1) इस सेवा के उच्चतर पद सोपान में प्रोन्नति हेतु सेवा संपुष्टि होना अनिवार्य होगा।
- (2) प्रोन्नति का आधार वरीयता सह योग्यता होगा।
- (3) इस सेवा के सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति की श्रृंखला निम्ननुसार होगी:-
 - (क) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से पणन पदाधिकारी के पद पर।
 - (ख) पणन पदाधिकारी से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर।
 - (ग) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर।
 - (घ) जिला आपूर्ति पदाधिकारी से उप निदेशक के पद पर।

14. कालावधि

झारखण्ड आपूर्ति सेवा का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। कालावधि का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र/समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश/संकल्प के अनुसार होगा।

15. विभागीय प्रोन्नति समिति

प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के अनुरूप होगा।

अध्याय - 5**विविध****16. प्रतिनियुक्ति**

इस सेवा के सदस्यों के पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

17. प्रशिक्षण

सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त कर्मियों को परीक्ष्यमान अवधि में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, मेयर्स रोड, राँची में आहत एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।

18. प्रशासनिक नियंत्रण

(1) आपूर्ति सेवा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं पणन पदाधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण, निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची के अधीन होगा तथा इससे उच्चतर पदों यथा-सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उप निदेशक का नियंत्रण विभाग के अधीन होगा।

(2) परिचालनात्मक (ऑपरेशनल) नियंत्रण

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं उससे उच्चतर पदों के पदाधिकारी, जिस जिला में पदस्थापित रहेंगे, उनके कार्यालय प्रधान के परिचालनात्मक नियंत्रण में रहेंगे।

19. अन्य सेवा शर्तें:-

इस सेवा के लिए अन्य सेवा शर्तें यथा-अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, वेतन, देय सेवानिवृत्ति इत्यादि जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं हैं या इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं हैं, के संबंध में राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिए उसी प्रकार की सेवा नियमावली में किए गए संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होंगे।

20. अनुशासनिक कार्रवाई

इस संवर्ग में अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 एवं यथा संशोधित नियमावली प्रभावी होगी।

21. निरसन एवं व्यावृत्ति

- (1) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से इस विषय से संबंधित पूर्व अधिसूचित "झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा नियमवली, 2013" सहित सभी प्रासंगिक परिपत्र/निर्णय/नियमावली निरसित समझे जायेंगे।
- (2) ऐसे निरसन के बावजूद भी इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व इस सेवा के संबंध में लिये गये निर्णयों के संबंध में माना जायेगा कि सभी निर्णय इस नियमावली के अधीन लिये गये हैं।
- (3) राज्य सरकार प्रशासी विभाग के माध्यम से इस नियमावली के किसी प्रावधान को संशोधित या विलोपित करने की शक्ति रखती है तथा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निदेश/परिपत्र निर्गत कर सकती है और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. निर्वचन

इस नियमावली के किसी बिन्दु की व्याख्या आवश्यकता पड़ने पर उसका निर्णय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के परामर्श से किया जाएगा, जो अंतिम एवं निर्णायक होगा।

23. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-1056, दिनांक 27.03.2023 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.03.2023 की बैठक के मद संख्या-33 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट-I

झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली नियम 11 (2)

- i. राजस्व पर्षद द्वारा लेखा पुस्तक सहित एवं लेखा पुस्तक रहित विषय की परीक्षा आयोजित की जायेगी। उक्त विषयों का पाठ्यक्रम निम्नरूपेण होगा:-

क्रम	विषय एवं पाठ्यक्रम	पत्र	समय	पूर्णांक	उतीर्णांक
1	लेखा पुस्तक रहित का विषय i. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ii. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, कालाबाजारी की रोकथाम और भरण पोषण अधिनियम, 1980 iii. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 iv. लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 v. कस्टम राईस मिल्ड (नियंत्रण) आदेश, 2016	प्रथम	3 घंटा	100	60
2	लेखा पुस्तक सहित का विषय i. Jharkhand Service Code ii. Jharkhand G.P.F Rule iii. Jharkhand Travelling Allowance Rule iv. Jharkhand Treasury Code v. Jharkhand Pension Rule	द्वितीय	3 घंटा	100	60
